

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 1040/2023

कमला बाई पत्नी श्री छोगालाल, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी भिंडर, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राजस्थान) मेसर्स कालिका इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर बाबूलाल नागौरी के स्थान पर प्रतिस्थापित।

-----अपीलकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राजस्थान)।
- राजस्व मंडल, अजमेर, जिला - अजमेर (राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री राजेंद्र सिंह राठौड़।

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री श्याम सुंदर लादरेचा, एएजी की ओर से श्री रवींद्र जाला और श्री दीपक सुथार।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान मुन्नुरि लक्ष्मण

आदेश

रिपोर्ट योग्य

27/03/2025

आई.ए. सं. 1/2023:

विलम्ब के लिए क्षमा हेतु आवेदन पर सुना गया।

आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, इसे स्वीकार किया जाता है और वर्तमान अपील दायर करने में 96 दिनों का विलम्ब क्षमा किया जाता है।

- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को गुणावगुण पर सुना गया।

2. वर्तमान अपील भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.05.2023 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने राजस्व मंडल (राजस्व अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को अविधिमान्य कर दिया है, आदेश को अपास्त कर दिया है और याचिका को अनुमति दे दी है।

3. संक्षेप में कथित, अपील को उत्पन्न करने वाले प्रकरण के सुसंगत तथ्य यह हैं कि किसी बाबू लाल नागौरी को दिनांक 13.02.1987 को राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 (जिसे आगे "1959 के आवंटन नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के उपबंधों के अंतर्गत एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु भूमि के एक खंड का पट्टा प्रदान किया गया था। कालांतर में, उक्त बाबू लाल नागौरी ने दिनांक 08.11.1996 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से उक्त भूमि अपीलार्थी कमला बाई के पक्ष में विक्रय कर दी। हालांकि, जिला कलेक्टर, उदयपुर ने 19.07.2006 को एक नोटिस भेजा जिसमें इस आधार पर पट्टा रद्द करने का प्रस्ताव था कि पट्टा प्रदान करने के दो साल की अवधि के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1959 के आवंटन नियम के नियम 7 के आदेश का उल्लंघन हुआ। सूचना जारी किए जाने पर इस प्रकार आरंभ की गई कार्रवाई अंततः पट्टे के निरस्तीकरण का आदेश पारित किए जाने पर समाप्त हुई। जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जिला कलेक्टर ने पहला आदेश पारित किया था, तो पहली बार एक अपील दायर की गई थी और मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। इसके बाद, जिला कलेक्टर द्वारा फिर से एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश को फिर से अपील दायर करके चुनौती दी गई और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने मामले को पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। दूसरी बार प्रतिप्रेषित किये जाने के बाद, जिला कलेक्टर ने 30.10.2010 को पट्टा रद्द करने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष तीसरी अपील दायर की, हालाँकि असफल रही, क्योंकि अपील 29.11.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर, राजस्व मंडल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसने दिनांक 08.10.2015 के आदेश द्वारा निचली अपीलीय प्राधिकारी और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अविधिमान्य कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आवंटन नियम 1959 के नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत पट्टा रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता। राजस्व मंडल के आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत एक रिट याचिका प्रस्तुत की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश

द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा पारित उस आदेश को अपास्त कर दिया, जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई थी।

4. जब यह मामला 29.01.2025 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अभिलेख पर की सामग्री का परीक्षण करते समय, यह देखा गया कि इस विवाद्यक के अतिरिक्त कि क्या औद्योगिक इकाई आवंटन नियम 1959 के नियम 7 के तहत अनिवार्य दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित की गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटन प्राधिकारी की अनुमति के बिना, मूल आवंटी बाबू लाल नागौरी ने अपीलार्थी के पक्ष में अंतरण विलेख निष्पादित किया था, जो प्रथम दृष्टया विचार करने पर, न केवल बाबू लाल नागौरी के पक्ष में पहले दिए गए पट्टे के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन प्रतीत हुआ, बल्कि 1959 के आवंटन नियमों के नियम 9 में निहित वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन प्रतीत हुआ। पक्षों को न्यायालय को संबोधित करने के लिए समय दिया गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें रखीं:

क) राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सही तथ्यात्मक आधार तथा विधि द्वारा ग्राह्य दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है। वह प्रस्तुत करेंगे कि राजस्व मंडल द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष अनिवार्य रूप से औद्योगिक इकाई के स्थल निरीक्षण के आधार पर दिनांक 28.06.2006 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है, जो अभिलिखित करती है कि औद्योगिक इकाई को 10 से 12 साल पहले बंद कर दिया गया था और जांच करने पर पता चला कि इकाई को बेच दिया गया है। रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है कि वहां एक शेड का निर्माण किया गया था, यद्यपि बंद है, और मशीनें भी स्थित हैं। इकाई चारदीवारी से घिरी हुई है। राजस्व मंडल का यह निष्कर्ष कि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री गठित नहीं करता है कि औद्योगिक इकाई बाबू लाल नागौरी के पक्ष में पट्टा अनुदान के दो साल की अवधि के भीतर स्थापित नहीं की गई थी, न तो अनुचित है और न ही अभिलेख पर की सामग्री के विपरीत कहा जा सकता है या किसी अन्य विकृति से ग्रस्त है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने उत्प्रेषण या पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप का कारण बनता है। उन्होंने दलील दी कि कलेक्टर और प्रथम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष राज्य द्वारा एकत्रित और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य के बिना थे। बाबू लाल नागौरी को 13.02.1987 को पट्टा दिए जाने के बाद, वे दो वर्षों की अवधि के भीतर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने में विफल रहे। उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई 28.06.2006 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को पूरी

तरह से गलत पढ़ा गया और अनुचित निष्कर्ष अभिलिखित किया गया, जिसे राजस्व मंडल ने सही कर दिया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को राजस्व मंडल द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

(ख) भले ही यह मान लिया जाए कि तकनीकी उल्लंघन हुआ था और बाबू लाल नागौरी ने 15.03.1997 के विलेख द्वारा अपीलार्थी को औद्योगिक इकाई बेचने से पहले, आवंटन नियम 1959 के नियम 9(ii) के तहत अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली थी, फिर भी नियम 13-ए में दिए गए प्रावधान के अनुसार, इसे अब भी आवंटन नियम 1959 की योजना के तहत नियमित किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, यह तर्क दिया गया है कि यही वह आधार नहीं है जिस पर माननीय एकल न्यायाधीश ने राजस्व मंडल के आदेश को पलट दिया, तथा कार्रवाई के किसी भी चरण में किसी भी प्राधिकरण ने विधि के उपबंधों के उल्लंघन के ऐसे आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में पट्टे को अवैध नहीं ठहराया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक वैकल्पिक दलील दी गई है कि भले ही अंततः यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के पक्ष में अंतरण के रूप में भूमि की बिक्री के समय मूल पट्टेदार बाबू लाल नागौरी ने कोई अनुमति अभिप्राप्त नहीं की थी, वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में जहां अपीलार्थी ने वर्ष 1997 में बाबू लाल नागौरी को अधिकार अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में पर्याप्त राशि का भुगतान किया था और तब से अपीलार्थी उसी के कब्जे में है, प्रतिवादीगण को अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा देने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है। प्रीमियम किराया और/या जुर्माने के भुगतान सहित ऐसी उचित शर्तों और नियमों पर, जिन्हें उचित माना जा सकता है और अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक है यदि राज्य अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा प्रदान करता है, इन विशेष परिस्थितियों में कि अपीलार्थी वर्ष 1997 से प्राधिकार के आभास के अधीन उसी पर काबिज रहा है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के समर्थन में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कलेक्टर के साथ-साथ प्रथम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने औद्योगिक विभाग द्वारा तैयार की गई 28.06.2006 की निरीक्षण रिपोर्ट की सही व्याख्या और अर्थ लगाया था, लेकिन राजस्व मंडल ने तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करते हुए, अभिलेख पर के दस्तावेजी साक्ष्य की स्पष्ट गलत व्याख्या के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला और इस बात पर भी विचार नहीं किया कि पट्टे की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, अब रिट न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी

मामले में, अपील के चरण में भी, अभिलेख पर ग्राह्य तथ्यों के आधार पर एक विधिक विवादक पर न्यायालय द्वारा हमेशा विचार किया जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि अपीलार्थी द्वारा कोई भी सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई है, जबकि इस न्यायालय ने 29.01.2025 को यह साबित करने के लिए समय दिया था कि बाबू लाल नागौरी ने अपने पक्ष में अधिकारों के अंतरण से पहले आवंटन नियम 1959 के नियम 9(ii) के तहत अनिवार्य अनुमति प्राप्त की थी। इसलिए, यह प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है और अंतरण स्वयं कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे दलील दी कि आवंटन नियम 1959 के नियम 13-ए में निहित नियमितीकरण खंड अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होता है, बल्कि यह नियमितीकरण खंड में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ व्यवसायों को नियमित करने का प्रयास करता है।

7. वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण के पहलू पर, विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी सक्षम प्राधिकारी को पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदित करने के लिए स्वतंत्र है और उस दशा में हमेशा इसे परीक्षित किया जा सकता है।

8. राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निष्कर्ष पर रद्द कर दिया है:

“20. दिनांक 13.02.1987 का आवंटन आदेश तथा दिनांक 31.03.1987 का पट्टा विलेख, कालिका इंडस्ट्रीज़ के पक्ष में, उसके स्वामी बाबूलाल नागौरी के माध्यम से निष्पादित किए गए थे। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी उक्त भूमि पर दो वर्ष की अवधि के भीतर कोई उद्योग स्थापित नहीं कर सका। प्रतिवादी यह साबित करने के लिए बाध्य था कि उसने दो वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि पर एक उद्योग स्थापित किया था, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कुछ भी ठोस नहीं रखा गया, बल्कि रजिस्ट्री की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई, जिसमें दिखाया गया कि आवंटित भूमि विवाद प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में 15.03.1997 को अंतरित कर दिया गया था और कालिका इंडस्ट्रीज़ के स्थान पर श्रीमती कमला बाई का नाम प्रविष्ट किया गया था। विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8.10.2015 में यह निष्कर्ष दिया है कि प्रतिवादी ने पहले वाले उद्योग के बंद होने के कारण एक नया उद्योग शुरू करने के लिए कुछ समय मांगा था और इस कथन के आधार पर, विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए जिला कलेक्टर को वापस भेज दिया। हालाँकि, जिला कलेक्टर के समक्ष बहस के दौरान प्रतिवादी ने नया उद्योग स्थापित करने के लिए समय मांगने के बजाय, विवादित भूमि का स्वरूप व्यावसायिक उपयोग से आवासीय उपयोग में बदलने का

अनुरोध किया और इसलिए जिला कलेक्टर ने विवादित भूमि के आवंटन को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। प्रतिवादी का कृत्य प्रतिवादी की मंशा और उस उद्देश्य को दर्शाता है जिसके लिए वह विवादित भूमि का उपयोग करना चाहता था। विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने माना कि एक ओर प्रतिवादी ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नया उद्योग स्थापित करने के लिए समय मांगा और दूसरी ओर जिला कलेक्टर के समक्ष भूमि के उपयोग को व्यावसायिक से आवासीय में बदलने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया।"

9. ऐसा उल्लेख करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश के अगले अनुवर्ती पैरा में निष्कर्ष निकाला कि विद्वान राजस्व मंडल मामले के उपरोक्त पहलुओं की मूल्यांकन करने में विफल रहा और मामले के अभिलेख का मूल्यांकन किए बिना यह माना कि एक बार उद्योग स्थापित हो गया और दो साल तक चल रहा था, तो आवंटन नियम 1959 के नियम 7 के अनुसार, ऐसी पूरी औद्योगिक इकाई का विक्रय किया जा सकता है।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन नियम 1959 के नियम 7 की शर्तों को पूरा करने की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं की गई है क्योंकि उद्योग दो वर्षों की अवधि के भीतर स्थापित नहीं किया गया था और अपीलार्थी द्वारा इसे दर्शित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी अभिलेख पर नहीं रखा गया था। इस प्रकार के विचारशील निर्णय और निष्कर्ष पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राजस्व मंडल के आदेश को रद्द कर दिया है।

11. आगे बढ़ने से पहले, **केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं अन्य बनाम बिकर्तन दास एवं अन्य** (2023) 16 एससीसी 462 के मामले में हाल ही में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायिक पुनर्विलोकन की परीधि और व्याप्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, कई निर्णयों में संक्षेप में बताए गए हैं, इस संबंध में न्यायशास्त्र के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, इसका सर्वेक्षण किया गया और निष्कर्ष इस प्रकार निकला: -

"48. इस मामले को बंद करने से पहले, हम उपर्युक्त संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बात पर गौर करना चाहेंगे:

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कानून के दो प्रमुख सिद्धांत, विशेष रूप से जब यह उत्प्रेषण रिट जारी करने की बात आती है।

49. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करने वाला विधि का पहला प्रमुख सिद्धांत, विशेष रूप से उत्प्रेषण रिट जारी करने के संबंध में, यह है कि ऐसा रिट जारी करते समय, उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। यह उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिन पर अवर अधिकरण का निर्णय आधारित होना तात्पर्यित होता है। वह उस आदेश को रद्द कर देता है जिसे वह अधिकारिता के बिना या स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण मानता है, लेकिन अवर अधिकरण के विचारों से स्वयं के विचार प्रतिस्थापित नहीं करता है। उत्प्रेषण रिट तभी जारी की जा सकती है जब अभिलेखों में कोई विधिक त्रुटि स्पष्ट हो। उत्प्रेषण रिट, एक उच्च विशेषाधिकार वाली रिट होने के कारण, केवल माँगने पर जारी नहीं की जानी चाहिए।

50. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण अधिकारिता के प्रयोग का दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह है कि किसी मामले में, यदि रिट याचिका में चुनौती दी गई कोई कार्रवाई या आदेश अवैध और अमान्य पाया जाता है, तो भी उच्च न्यायालय अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, पक्षकारों के बीच सारवान् न्याय करने की दृष्टि से उसे रद्द करने से इनकार कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 एक असाधारण उपाय प्रदान करता है, जो सारतः विवेकाधीन है, हालाँकि यह कानूनी क्षति पर आधारित है। रिट न्यायालय, इस लचीली शक्ति का प्रयोग करते हुए, जनहित और समता के अनुरूप आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कानूनी नियमों को मामले की वास्तविक स्थिति से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता। विधि का प्रबंध करते समय, इसमें समता का समावेश होना चाहिए और यदि साम्यापूर्ण स्थिति, कानूनी नियमों को सही करने के बाद, उसे तार्किक निष्कर्ष तक न ले जाने की माँग करती है, तो उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल हो जाएगा यदि वह साम्यापूर्ण विचार पर ध्यान नहीं देता और अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अंतिम आदेश नहीं देता। कोई भी अन्य दृष्टिकोण उच्च न्यायालय को एक सामान्य अपील न्यायालय बना देगा, जो वह नहीं है।

51. उत्प्रेषण रिट की आवश्यक विशेषताओं, जिनमें संक्षिप्त इतिहास भी शामिल है, को न्यायमूर्ति बी.के.मुखर्जी ने टीसी बसप्पा बनाम टी . नागप्पा मामले में बहुत विस्तार से समझाया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्प्रेषण रिट "सभी

समुचित मामलों में और विनियोजित रीति से" जारी की जा सकती है, बशर्ते व्यापक और मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। उन सिद्धांतों को इस प्रकार रेखांकित किया गया है: (एससीसी पी. 914, पैरा 8-10)

"8. ... "उत्प्रेषण" की रिट जारी करते समय, उच्चतर न्यायालय अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। वह उन साक्ष्यों का पुनर्विलोकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता जिन पर अवर अधिकरण का निर्णय आधारित होना तात्पर्यित है। वह उस आदेश को रद्द कर देता है जिसे वह अधिकारिता के बिना या स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण मानता है, लेकिन अवर अधिकरण के विचारों से स्वयं के विचार प्रतिस्थापित नहीं करता है। ...

9. "उत्प्रेषण" की रिट्स के माध्यम से उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षण दो बिंदुओं पर आधारित है, जैसा कि लॉर्ड समर ने आर. बनाम नेट बेल लिक्वर्स लिमिटेड, ए.सी. के पृष्ठ 156 पर व्यक्त किया है। पहला, अवर अधिकारिता का क्षेत्र और उसके प्रयोग की योग्यताएं और शर्तें; दूसरा, उसके प्रयोग के दौरान कानून का पालन। ...

10. "उत्प्रेषण" तब दिया जा सकता है और सामान्यतः तब दिया जाता है जब न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर या उससे अधिक कार्य किया हो।"

52. टीसी बसप्पा का हवाला देते हुए, हरि विष्णु कामथ में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित सुस्थापित प्रतिपादनाएं अधिकथित की गई: (हरि विष्णु कामथ मामला, एससीसी पी. 899, पैरा 24) "

24. ... 24.1. "उत्प्रेषण आदेश" अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी किया जाएगा, जैसा कि तब होता है जब कोई अवर न्यायालय या अधिकरण अधिकारिता के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या उसका प्रयोग करने में विफल रहता है।

24.2. "उत्प्रेषण आदेश" तब भी जारी किया जाएगा जब न्यायालय या अधिकरण अपने असंदिग्ध अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय देता है, या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

24.3. "उत्प्रेषण" रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करता है, न कि अपीलीय अधिकारिता का। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या अधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्ष का पुनर्विलोकन नहीं करेगा, भले ही वे त्रुटिपूर्ण हों।

53. इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस न्यायालय के पास किसी विषय-वस्तु पर अधिकारिता होती है, उसके पास गलत के साथ-साथ सही का भी निर्णय करने का अधिकार होता है, और जब विधायिका उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान नहीं करना चाहती, तो यदि कोई उच्च न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करता है और उत्प्रेषण में स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करता है, तो यह उसके प्रयोजन और नीति को विफल कर देगा।

54. याकूब बनाम केएस राधाकृष्णन मामले में , मुख्य न्यायाधीश पीबी गजेंद्रगढ़कर ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, मामले को किसी भी संदेह की स्थिति से परे रखते हुए कहा कि अवर न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा की गई अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। इस न्यायालय की पैरा 7 में की गई टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं : (एससीसी ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट पैरा 7)

“7. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की सीमाओं के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। उत्प्रेषण रिट अवर न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा की गई अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहाँ अवर न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा अधिकारिता के बिना, या उससे अधिक, या अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी प्रकार, एक रिट तब भी जारी की जा सकती है जब उसे प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय या अधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, वह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहाँ विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने की अधिकारिता एक पर्यवेक्षी अधिकारिता है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय

के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस परिसीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को रिट कार्रवाई में पुनः खोला या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अभिलेख को देखने से ही प्रकट विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो। अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को अभिलिखित करते समय, अधिकरण ने ग्राह्य और तात्त्विक साक्ष्य को स्वीकार करने से गलती से इनकार कर दिया था, या अग्राह्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी प्रकार, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे विधि की त्रुटि माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उत्प्रेषण रिट की कार्रवाई में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सुसंगत और तात्त्विक साक्ष्य आक्षेपित निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपूर्ण या अपर्याप्त थे। पर्याप्तता या किसी बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य की पूर्णता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का निष्कर्ष अधिकरण के अनन्य अधिकारिता में आता है, और उक्त बिंदुओं पर रिट न्यायालय में बहस नहीं की जा सकती। इन्हीं सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को उत्प्रेषण रिट जारी करने का प्रदत्त अधिकार क्षेत्र वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है...।”

55. सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि उत्प्रेषण अधिकारिता उपलब्ध होने के बावजूद, इसका प्रयोग सामान्य अनुक्रम में नहीं किया जाना चाहिए। यदि न्याय में कोई विफलता नहीं हुई है, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट को अस्वीकार करने में न्यायोचित होगा। उत्प्रेषण अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय द्वारा सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि वह अवर न्यायालय या अधिकरण को अपने अभिलेख या कार्रवाइयों को उच्च न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रमाणित करने का आदेश देता है ताकि उच्च न्यायालय यह निर्धारित कर सके कि अभिलेख के आधार

पर अवर न्यायालय ने कोई त्रुटि की है या नहीं, जैसा कि इस न्यायालय ने हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक मामले में न्याय में विफलता के कारण स्पष्ट किया है।

56. पूर्वोक्त से, अधिकारिता संबंधी त्रुटि के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अधिकारिता का अभाव विषय-वस्तु की प्रकृति के कारण उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण अवर न्यायालय या अधिकरण को जाँच करने का प्राधिकार नहीं मिल सकता। यह किसी आवश्यक प्रारंभिक या अधिकारिता संबंधी तथ्य के अभाव के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जहाँ किसी निकाय की अधिकारिता उत्प्रेषण रिट की कार्रवाई में तथ्य के प्रारंभिक निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहाँ न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि तथ्य का वह निष्कर्ष सही है या नहीं। इसका कारण यह है कि ऐसे तथ्य का गलत निर्णय करके, न्यायालय या अधिकरण स्वयं को अधिकारिता नहीं दे सकता।

57. एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम फोरेन कम्पनसेशन कमिशन मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने "अधिकारिता संबंधी त्रुटि" की अवधारणा को एक बहुत व्यापक अर्थ दिया है। यह निर्धारित किया गया है कि एक अधिकरण न केवल उस सीमा पर अधिकारिता का अतिक्रमण करता है जब वह ऐसी जाँच में प्रवेश करता है जिसका वह हकदार नहीं है, बल्कि वह पहली बार में अपने अधिकारिता के भीतर एक जाँच शुरू कर सकता है और फिर ऐसा कुछ कर सकता है जिससे वह अपने अधिकारिता से वंचित हो जाए और उसका निर्णय अमान्य हो जाए। लॉर्ड रीड के शब्दों में: (एसी पी. 171)

"... लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहाँ, हालाँकि अधिकरण के पास जाँच करने का अधिकार था, उसने जाँच के दौरान कुछ ऐसा किया या करने में विफल रहा जो इस प्रकार का है कि उसका निर्णय अमान्य है। उसने अपना निर्णय दुर्भावना से दिया हो सकता है। उसने ऐसा निर्णय लिया हो जिसे लेने का उसे कोई अधिकार नहीं था। वह जाँच के दौरान नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा हो सकता है। उसने पूर्ण सद्भावना से उन प्रावधानों की गलत व्याख्या की हो सकती है जो उसे कार्य करने की शक्ति प्रदान करते थे, जिसके कारण वह उसे सौंपे गए प्रश्न पर विचार करने में विफल रहा और किसी ऐसे प्रश्न पर निर्णय दिया जो उसे सौंपा ही नहीं गया था। उसने किसी ऐसी बात पर विचार करने से इनकार कर दिया हो जिस पर विचार करना उसके लिए आवश्यक था। या उसने अपना निर्णय किसी ऐसे मामले पर आधारित किया हो, जिस पर उसे

स्थापित प्रावधानों के तहत विचार करने का कोई अधिकार नहीं था। मैं इस सूची को विस्तृत करने के लिए आशयित नहीं हूँ।।”

58. जहाँ तक विधि की त्रुटियों का संबंध है, यदि अभिलेख को देखने से ही विधि की त्रुटि स्पष्ट हो तो उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण रिट लाने के लिए, केवल विधि की त्रुटि पर्याप्त नहीं है। यह ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो अभिलेख में प्रकट या स्पष्ट हो। केवल औपचारिक या तकनीकी त्रुटियाँ, जहाँ तक कि विधि की भी, उत्प्रेषण रिट लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने बार-बार याद दिलाया है, यह अवधारणा अनिश्चित है और इसे सटीक या विस्तृत रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए। केएम शणमुगम बनाम एसआरवीएस (प्रा.) लिमिटेड में इस न्यायालय के अनुसार, यह अवधारणा "कई अकल्पनीय तत्वों से युक्त है... इसकी सटीक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है, त्रुटि की स्पष्ट प्रकृति, काफी हद तक, व्यक्तिपरक तत्व पर निर्भर करती है।" हालाँकि, एक सामान्य कसौटी यह है कि किसी भी त्रुटि को अभिलेख के सामने स्पष्ट नहीं कहा जा सकता यदि वह "स्वतः स्पष्ट" या "प्रकट" न हो। यदि उसे स्थापित करने के लिए किसी परीक्षण या तर्क की आवश्यकता हो, यदि उसे तर्क की एक लंबी प्रक्रिया, या लंबी या जटिल दलीलों द्वारा, उन बिंदुओं पर स्थापित करना पड़े जहाँ दो राय हो सकती हैं, तो ऐसी त्रुटि विधि की त्रुटि नहीं रह जाएगी। (देखें: सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मिलिकार्जुन भवनप्पा तिरुमाले .)

59. तथापि, हमारी राय में, इस तरह के परीक्षण को एक अनम्य नियम के सूत्र में लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह विफल हो सकता है क्योंकि एक न्यायाधीश द्वारा जो त्रुटि स्वतः स्पष्ट मानी जा सकती है, उसे दूसरे न्यायाधीश द्वारा ऐसा नहीं माना जा सकता है।

60. इस प्रक्रम पर, इस बिंदु के संबंध में याकूब के मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों का स्मरण करना अप्रासंगिक नहीं होगा, जो कि निम्नलिखित हैं: (एससीसी ऑनलाइन एससी पैरा 7-8)

जहाँ यह प्रकट या स्पष्ट हो कि किसी अवर न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिलिखित किया गया कानूनी निष्कर्ष संबंधित वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या पर आधारित है, या उसके बारे में

अज्ञानता में है, या उसकी अवहेलना भी हो सकती है, या स्पष्ट रूप से ऐसे कारणों पर आधारित है जो कानून की दृष्टि से गलत हैं, वहाँ उक्त निष्कर्ष को उत्प्रेषण रिट द्वारा सही किया जा सकता है। उत्प्रेषण केवल तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, भले ही ऐसी त्रुटियाँ अभिलेख को देखने से ही स्पष्ट हो। रिट की अधिकारिता पर्यवेक्षी होती है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। यह सुस्थापित है कि रिट न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और न्यायनिर्णायक निकाय, चाहे वह न्यायालय हो या अधिकरण, द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष के स्थान पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करेगा। किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्य के निष्कर्ष को, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो, उत्प्रेषण कार्रवाई में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि न्यायालय या अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सुसंगत और तात्विक साक्ष्य, आक्षेपित निष्कर्ष को बरकरार रखने के लिए अपर्याप्त या अपूर्ण थे।

यह भी सर्वविदित है कि किसी बिन्दु पर प्रस्तुत साक्ष्य की यथायोग्यता या पर्याप्तता तथा उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान अधिकरण के अनन्य अधिकारिता में है तथा इन बिन्दुओं पर रिट न्यायालय के समक्ष बहस नहीं की जा सकती।

61. उपर्युक्त संदर्भ में, हमारे लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक बनाम स्टाफ कैटीन वर्कर्स यूनियन मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना लाभदायक होगा। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की : (एससीसी पीपी. 259-60, पैरा 17)

"17. ...किसी प्रयोजन हेतु विधिवत गठित तथ्य-अन्वेषी प्राधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्ष, जिन्हें सामान्यतः अंतिम माना जाना चाहिए, उन्हें केवल इस आधार पर विचलित नहीं किया जा सकता कि रिट न्यायालय की राय में वे निष्कर्ष उन सामग्रियों या साक्ष्यों पर आधारित हैं जो पर्याप्त या विश्वसनीय नहीं हैं या कम से कम तब तक, जब तक वे निष्कर्ष उस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक सामग्री पर आधारित हैं, या इस आधार पर भी कि उस मामले में एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव है जिसे तार्किक रूप से अपनाया जा सकता था।"

62. तथापि, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि तथ्यों के निष्कर्ष जो “बिना किसी साक्ष्य” पर आधारित हों या पूरी तरह से अनुमानों और अटकलों पर आधारित हों या जो अनुचित बिंदु हों, उन्हें उत्प्रेषण के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है क्योंकि ऐसे निष्कर्षों को कानून की त्रुटि माना जा सकता है।

63. इस प्रकार, ऊपर संदर्भित विभिन्न निर्णयों से, हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उत्प्रेषण रिट एक उच्च विशेषाधिकार वाली रिट है और इसे केवल पूछने पर जारी नहीं किया जाना चाहिए। उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए, संबंधित पक्ष को इसके लिए एक निश्चित मामला बनाना होगा और यह स्वाभाविक बात नहीं है। संक्षेप में कहें तो, उत्प्रेषण अधिकारिता की त्रुटियों को ठीक करने के लिए जारी किया जाएगा, अर्थात्, अनुपस्थिति, आधिक्य या प्रयोग में विफलता और तब भी जब निस्संदेह अधिकारिता के प्रयोग में अवैधता हुई हो। यह निर्णय या निर्धारण में किसी त्रुटि को ठीक करने के लिए भी जारी किया जाएगा, यदि यह कार्रवाई के दौरान स्पष्ट त्रुटि है। इसके प्रयोग से केवल एक स्पष्ट त्रुटि को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक गलत निर्णय को नहीं। पुनरावृत्ति की कीमत पर यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि उत्प्रेषण अपील नहीं बल्कि केवल पर्यवेक्षी है।

64. उत्प्रेषण रिट, एक उच्च विशेषाधिकार वाली रिट होने के नाते, किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों के प्रयोग के संबंध में जारी की जाती है, जब तर्क यह हो कि प्रयोग करने वाले प्राधिकारी के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या उसने अधिकारिता का अतिक्रमण किया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अपील के समूह में संबंधित अधिकरणों या प्राधिकारियों के पास मामले से निपटने की अधिकारिता था। हालाँकि, तर्क यह होगा कि अधिकरणों ने मनमाने और अवैध तरीके से काम किया था और वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित निष्कर्ष देने में विफल रहे थे। हम केवल इतना कह सकते हैं कि उत्प्रेषण रिट के लिए रिट आवेदन पर निर्णय देते समय, न्यायालय किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने के उद्देश्य से अधिकरणों के आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय के रूप में उसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए नहीं है। यदि कोई साक्ष्य है, तो न्यायालय यह जाँच नहीं करेगा कि उससे सही निष्कर्ष निकाला गया है या नहीं। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ किसी अधिकरण या प्राधिकारी का आदेश या निर्णय तथ्यों या गुणावगुण के आधार

पर गलत हो, वहाँ उत्प्रेषण रिट लागू नहीं होगी। (देखें: आर. बनाम नेट बेल लिक्स लिमिटेड) ”

12. उपर्युक्त स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं को अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका मानकर तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया है।

13. आदेशों और कार्रवाइयों से जो तथ्य उजागर हुए हैं और जो विवाद से परे हैं, वे यह हैं कि बाबू लाल नागौरी के पक्ष में औद्योगिक उद्देश्य हेतु भूमि के एक टुकड़े का आवंटन आदेश 13.02.1987 को जारी किया गया था, जिसके बाद 31.03.1987 को पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया। आवंटन नियम 1959 का नियम 7 इस प्रकार है:

" 7. उद्योग की स्थापना.- (1) पर्यटन इकाई के अलावा अन्य उद्योग भूमि आवंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित किए जाएँगे:

परंतु कि आवंटन प्राधिकारी, आवंटी के आवेदन पर , उद्योग स्थापना की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ा सकता है। यदि आवंटी ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो आवंटन प्राधिकारी, आवंटी के आवेदन पर, उपरोक्त अवधि के विस्तार के लिए मामले को राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है। राज्य सरकार उपयुक्त मामलों में उपरोक्त अवधि बढ़ा सकती है।

(2) यदि उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार नियत अवधि या बढ़ाए गए समय के भीतर भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।

14. उपरोक्त नियम, अन्य बातों के अलावा, यह अपेक्षा करता है कि पर्यटन इकाई के अलावा अन्य उद्योग भूमि आवंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित किए जाएँगे। इससे उपाबद्ध परंतुक में उद्योग स्थापित करने की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है । निर्धारित अवधि या विस्तारित समय के भीतर भूमि का उपयोग न करने के परिणामों का भी प्रावधान किया गया है, अर्थात् भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।

15. उपर्युक्त प्रावधान की तार्किक और निष्पक्ष व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति को पर्यटन इकाई के अलावा अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए पट्टा प्रदान किया गया है, उसे भूमि आवंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर औद्योगिक इकाई

स्थापित करनी होगी। भूमि का आवंटन 13.02.1987 को किया गया था। यह मानते हुए भी कि पट्टे के निष्पादन की तिथि (31.03.1987) को कानून के अनुप्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रारंभ तिथि माना जाना चाहिए, उद्योग की स्थापना 31.03.1989 को या उससे पहले होनी आवश्यक थी।

16. कानून के तहत यह परिणाम लागू होगा कि आवंटन नियम 1959 के नियम 7 के उपनियम 1 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में भूमि सभी भागों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी, लेकिन यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख पर विशिष्ट सामग्री नहीं लाई जाती जिस पर भरोसा किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है कि औद्योगिक इकाई दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित नहीं की गई थी।

17. कार्रवाई प्रारंभ करने और अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का मूल आधार दिनांक 28.06.2006 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित था। कलेक्टर और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने इस विशेष दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य पाया कि प्रतिवादी दो वर्षों की अवधि में औद्योगिक इकाई स्थापित करने में विफल रहा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बाबू लाल नागौरी ने दिनांक 08.11.1996 के विलेख द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में भूमि अंतरित की थी। राजस्व मंडल के साथ-साथ कलेक्टर और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मानी गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कोई अनुबंध अंतर्वलित नहीं है कि बाबू लाल नागौरी आवंटन नियम 1959 के नियम 7 के तहत अनिवार्य दो वर्षों की अवधि में औद्योगिक इकाई स्थापित करने में विफल रहे। इसके विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है कि इकाई पिछले 10 से 12 वर्षों से बंद है। इसके अलावा, रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा यह है कि इकाई बेच दी गई है और वहां एक शेड का निर्माण किया गया है तथा मशीनें भी स्थापित की गई हैं।

18. रिपोर्ट की विषयवस्तु, जैसी भी है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती कि कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई थी। प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट, केवल यह दर्शाती है कि इकाई 1994-1996 के आसपास बंद कर दी गई थी। इसके अलावा, मशीनों और शेड की मौजूदगी और चारदीवारी के निर्माण से केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबू लाल नागौरी ने एक इकाई स्थापित की थी जिसे अपीलार्थी को बेच दिया गया था। कलेक्टर और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने ऐसी किसी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि पट्टा दिए जाने के बाद दो वर्षों की अवधि के भीतर बाबू लाल नागौरी इकाई स्थापित करने में विफल रहा हो।

19. आवंटन नियम, 1959 के नियम 7 का अनुप्रयोग केवल तभी होगा जब मूल आवंटनी भूमि आवंटन के पश्चात औद्योगिक इकाई स्थापित करने में विफल रहा हो। नियम 7 उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब मूल आवंटनी निर्धारित समयावधि में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के बाद उसे किसी तृतीय पक्ष को बेच देता है। नियम 7 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि औद्योगिक उपयोग के लिए मांगी और आवंटित की गई भूमि का उपयोग उचित समयावधि के भीतर उसी उद्देश्य के लिए किया जाए। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति औद्योगिक इकाई स्थापित करने के नाम पर भूमि का पट्टा प्राप्त न कर ले और उसके बाद उचित समयावधि के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित करने में विफल न हो। औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक लोक नीति पर आधारित है। यदि औद्योगिक इकाई उचित समयावधि के भीतर स्थापित नहीं की जाती है, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा। सार्वजनिक विचार-विमर्श पर आधारित इसी वैधानिक नीति के आधार पर नियम 7 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि इकाई दो वर्षों के भीतर स्थापित नहीं की जाती है, तो भूमि स्वतः ही राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी। यह वैधानिक परिणाम केवल एक साथ प्रमाण और इस निश्चित निष्कर्ष पर ही लागू होगा कि औद्योगिक इकाई बाबू लाल नागोरी द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री न होने के कारण, कलेक्टर और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने अधिकारिता से बाहर जाकर यह निष्कर्ष अनुचित तरीके से अभिलिखित किया कि आवंटन नियम 1959 के नियम 7(2) में निहित प्रावधानों के तहत भूमि राज्य सरकार को वापस कर दी गई है।

20. ऐसा प्रतीत होता है कि नियम 7 में निहित प्रावधान वर्तमान मामले की इस तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होता है कि बाबू लाल नागोरी से भूमि खरीदने के बाद, अपीलार्थी कोई औद्योगिक इकाई नहीं चला रहा था, अपितु वह बंद पाई गई। यदि इस तथ्यात्मक पहलू को वैसे ही लिया जाए, तो भी हमारे विचार से, नियम 7 लागू नहीं होगा। इसके अन्य परिणाम भी हो सकते हैं कि राज्य प्राधिकारी इस आधार पर पट्टा रद्द कर दें कि भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन आवंटन नियम 1959 के नियम 7(2) में निहित प्रावधान के अनुसार लागू होने वाले कानूनी परिणाम लागू नहीं होंगे।

21. वर्तमान मामले में, कानून के प्रावधानों पर लागू मामले के तथ्यात्मक पहलू से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1959 के आवंटन नियमों के नियम 7 में निहित प्रावधानों के संचालन से पट्टा समाप्त नहीं होगा। स्वीकार किए गए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर इस कानूनी पहलू की राजस्व मंडल द्वारा सही मूल्यांकन किया गया था। राजस्व मंडल द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष किसी विकृति अथवा विधि या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के स्पष्ट उल्लंघन से ग्रसित नहीं था, अधिकार क्षेत्र का दोष तो बिल्कुल नहीं था।

राजस्व मंडल का निष्कर्ष अनिवार्य रूप से 28.06.2006 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में एक दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित था। इसलिए, हमारे विचार में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याप्ति से बाहर था। यह सुस्थापित है, यह सुस्थापित है, जैसा कि उन निर्णयों में निरूपित किया गया है जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, कि रिट न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय, स्वयं को अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका में नहीं रखेगा

22. अतः हमारा मत है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उत्प्रेषण अधिकारिता के प्रयोग में राजस्व मंडल के आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं था।

23. लेकिन फिर दूसरा मुद्दा जो संयोगवश इस न्यायालय के समक्ष उठा है वह यह है कि क्या अपीलार्थी और बाबू लाल नागौरी के बीच लेन-देन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से हुआ था जैसा कि आवंटन नियम 1959 के नियम 9 के तहत आवश्यक है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दृढ़ता से प्रस्तुत करेंगे कि यह मुद्दा पट्टा रद्द करने के आधार में से एक नहीं था, इसलिए, इस स्तर पर इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हमारा विचार है कि यह बिना किसी विवादित तथ्य के प्रश्न की जांच के कानून का विशुद्ध मुद्दा है। चूंकि यह मामले की जड़ तक जाता है और लेन-देन की वैधता का मुद्दा शामिल है, इस आपत्ति के बावजूद, हमने इस पहलू पर विचार किया है। यह विवादित नहीं है कि बाबू लाल नागौरी मूल आवंटी थे और बाद में, 08.11.1996 के पट्टा विलेख के जरिए, उन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में भूमि/इकाई अंतरित कर दी। स्वीकार्यतः, बाबू लाल नागौरी को यह भूमि औद्योगिक इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से आवंटन नियम 1959 के प्रावधानों के तहत आवंटित की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबू लाल नागौरी ने औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के पश्चात, कालांतर में उसे अपीलार्थी के पक्ष में व्ययनित कर दिया था। इसके लिए आवंटन नियम 1959 के नियम 9 के अनुसार प्राधिकारियों की अनुमति अनिवार्य रूप से आवश्यक थी, जिसका त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धरण दिया गया है :

"9. पट्टेदार को भूमि आदि की बिक्री से विवर्जित किया जाएगा। पट्टे की अवधि समाप्त होने तक पट्टे पर दी गई भूमि पर पट्टेदार का सीमित स्वामित्व होगा और उसे केवल उद्योग के विकास के लिए ऋण लेने या पट्टेदार या उसी प्रबंधन के स्वामित्व वाले किसी अन्य उद्योग द्वारा लिए गए ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने के प्रयोजन हेतु समनुदेशन का अधिकार होगा। पट्टेदार को भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा:

(i) परंतु कि भूमि को केवल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, आईआरबीआई, एचडीएफसी, सिडबी, एक्जिम बैंक, सहकारी बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम में परिभाषित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंकों या निजी ऋण एजेंसियों के पक्ष में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता है, परंतु कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पट्टेदार ने पट्टाकर्ता के सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और पट्टेदार ने राज्य सरकार के पक्ष में पहला भार और वित्तपोषण निकाय या निकायों के लिए दूसरा भार बनाया है।

(ii) परंतु यह और कि एक बार जब भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया जाता है जिसके लिए उसे नियम 7 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवंटित किया गया था, तो पट्टेदार, आवंटन प्राधिकारी की अनुमति से, निम्नलिखित शर्तों पर, पट्टे पर दी गई संपूर्ण भूमि में अपना अधिकार या हित अंतरित कर सकता है:-

- (a) इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में, उसे नियम 3ए के तहत लगाए गए आवंटन मूल्य को घटाने के बाद भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य का 50% भुगतान करना होगा और अंतरिती को नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा भूमि की अतिरिक्त राशि का 50% भुगतान करना होगा और पट्टे की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- (b) खातेदारी भूमि के मामले में, अंतरिती को नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराये की 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा तथा पट्टे की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(iia) परंतु यह भी कि यदि अनुमति प्रदान करने के पश्चात् अंतरिती पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है और आवंटन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित भूमि को आगे अंतरित कर देता है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अंतरण के लिए 3000/- रुपये के जुर्माने का भुगतान करने पर ऐसे अंतरण को नियमित किया जा सकता है । पट्टा विलेख ऐसे अंतरिती के पक्ष में पट्टे की शेष अवधि के लिए निष्पादित किया जा सकता है ।

ऐसे अंतरण पर अंतरिती को नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराये की 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

(iii) परन्तु यह भी कि खातेदारी भूमि की दशा में, पट्टेदार आवंटन अधिकारी की अनुज्ञा से, इस प्रकार पट्टाकृत सम्पूर्ण भूमि में अपने अधिकार या हित का अन्तरण,

पट्टे की शर्तें अपरिवर्तित रहते हुए, कर सकेगा। अन्तरिती ऐसे अन्तरण पर नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराये की 50 % अधिक रकम का संदाय करेगा।

(iii a) परंतु यह भी कि यदि किसी औद्योगिक भूखंड को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना विभाजित या उप-विभाजित किया जाता है, तो पट्टेदार, आवंटन प्राधिकारी को विभाजन या उप-विभाजन की अनुमति के लिए आवेदन करेगा और साथ ही 3000/- रुपये की राशि जमा करते हुए चालान की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा। आवंटन प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विभाजन या उप-विभाजन को नियमित कर सकेगा।

(iv) परंतु यह भी कि यदि किसी औद्योगिक भूखंड को किसी भी प्रयोजन के लिए विभाजित या उप-विभाजित किया जाना प्रस्तावित है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी:

(v) परंतु यह भी कि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, रूग्ण इकाई के मामले में, पट्टेदार राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, निम्नलिखित शर्तों पर उपरोक्त प्रावधान के तहत उप-विभाजित पट्टे की भूमि में अपना अधिकार या हित अंतरित कर सकता है:-

(क) यदि भूमि बंधक रखी गई है तो वित्तीय संस्थाओं/बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(ख) कि पट्टे की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(ग) कि अंतरिती व्यक्ति पट्टे पर दी गई भूमि में अधिकार या हित के अंतरण की तिथि से लागू आनुपातिक वार्षिक पट्टा किराये की 100 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा।

(घ) अंतरिती भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए करेगा।

(ई) कि इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में, अंतरिती को नियम 3ए के तहत प्रभारित आवंटन मूल्य की कटौती के बाद भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य का 50% भुगतान करना होगा।

(vi) परंतु यह भी कि सरकारी भूमि के मामले में उपरोक्त प्रावधान के तहत अंतरण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इकाई को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल (बीआईएफआर) द्वारा रूग्ण घोषित नहीं किया जाता है।

(vii) परंतु यह भी कि किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में आवंटन प्राधिकारी मामले को राज्य सरकार के राजस्व विभाग को संदर्भित करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(vii) परंतु यह भी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समूहों का विकासकर्ता, अनुमोदित योजना के अनुसार, उद्यमियों को पट्टे पर दी गई संपूर्ण भूमि पर अपना अधिकार या हित अंतरित कर सकता है। पट्टे की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अंतरिती को ऐसे अंतरण पर नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराये की 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

24. नियम 9 के खंड (ii) में प्रावधान है कि नियम 7 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी, उसके लिए उपयोग किए जाने के बाद, पट्टेदार, आवंटन प्राधिकारी की अनुमति से, पट्टे पर दी गई संपूर्ण भूमि पर अपने अधिकार या हित को उसमें उल्लिखित शर्तों पर अंतरित कर सकता है।

25. इसलिए, अंतरण के लिए यह एक पूर्व शर्त है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता होने के कारण, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भूमि का कोई भी अंतरण शून्य होगा और अंतरण पट्टे के आधार पर किसी भी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार को अंतरित करने में असमर्थ होगा।

26. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय को इस तर्क पर मनाने के लिए गुहार लगाई है कि यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि बाबू लाल नागौरी ने अपीलार्थी के पक्ष में अंतरण करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली थी, तो भी आवंटन नियम 1959 में ऐसे अंतर्निहित प्रावधान हैं जो कुछ नियमों और शर्तों पर नियमितीकरण की अनुमति देते हैं।

27. आवंटन नियम, 1959 के नियम 9 का उप-नियम (ii-a) उस मामले से संबंधित है जहाँ अनुमति मिलने के बाद भी अंतरिती पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहा है और आवंटन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित भूमि को आगे अंतरित कर दिया है। इस प्रकार के अंतरण को आवंटन प्राधिकारी द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर नियमित किया जा सकता है। हालाँकि, यदि अनुमति ही नहीं है तो यह नियमितीकरण के प्रावधान पर लागू नहीं होगा। तर्कसंगत रूप से व्याख्या की जाए तो, यह उपबंध नियमितीकरण का प्रावधान करता है क्योंकि किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन ऐसी अनुमति के परिणामस्वरूप, अंतरिती पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है और बिना पूर्व अनुमति के भूमि को आगे अंतरित कर देता है। ऐसे मामले में, वास्तव में, भूमि को

अंतरित करने की अनुमति तो है, लेकिन कतिपय पश्चात्कर्ती त्रुटियों के कारण, नियमों में नियमितीकरण की योजना को शामिल कर लिया गया है। यह प्रावधान अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं होगा क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ बाबू लाल ने भूमि के अंतरण के लिए अन्यथा अनुमति मांगी हो, लेकिन पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहा हो और फिर आवंटित भूमि को अपीलार्थी को अंतरित कर दिया हो।

28. नियमितीकरण का दावा करने के लिए जिस अन्य प्रावधान पर भरोसा किया गया है, वह आवंटन नियम, 1959 के नियम 13-ए में शामिल है, जिसे दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना द्वारा शामिल किया गया था। उपर्युक्त प्रावधान को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

“13-ए भूमि का नियमितीकरण.- कोई भी सरकारी कृषि भूमि जो दिनांक 15-07-1994 तक उचित आवंटन के बिना औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है, उसे पड़ोस में भूमि के प्रचलित उच्चतम बाजार मूल्य के भुगतान पर और भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के पांच गुना के बराबर अतिरिक्त दंड के साथ नियमित किया जा सकता है।

परन्तु यह भी कि ऐसे नगर या गांव जो नगरपालिका नहीं हैं और जिनकी जनसंख्या आठ हजार से अधिक नहीं है, वहां ऐसी शास्ति भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त प्रावधान प्रभावी रूप से एक वैधानिक नीति को शामिल करते हुए एक कट ऑफ तारीख के संदर्भ में है जहां यह पाया जाता है कि किसी भी सरकारी कृषि भूमि का उपयोग उचित आवंटन के बिना औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया गया है। 15.07.1994 की कट ऑफ तारीख के नियमितीकरण की अनदेखी नहीं की जा सकती है और इसे पूर्ण प्रभाव और अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि जब तक इसकी आवश्यकता न हो या असाधारण मामलों को छोड़कर, किसी क़ानून में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति को जोड़ना या हटाना स्वीकार्य नहीं है, यह क़ानून की व्याख्या का एक प्रमुख सिद्धांत है। 15.07.1994 को कट ऑफ तारीख का नियमितीकरण की इस तरह के प्रावधान के पीछे के उद्देश्य का संकेत है। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय सरकारी कृषि भूमि का उपयोग उचित आवंटन के बिना औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से 15.07.1994 तक ऐसे सभी उपयोगों को नियमित करने का निर्णय लिया। यह स्पष्ट रूप से एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण का प्रावधान है और 15.07.1994 के बाद सरकारी कृषि भूमि पर सभी औद्योगिक गतिविधियों के

नियमितीकरण का नित्य स्रोत नहीं है। इसके सार में, उन जमीनों का नियमितीकरण जो बिना आवंटन के औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई हैं, उन्हें 15.07.1994 की कट ऑफ तारीख के साथ नियमित किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां बाबू लाल नागौरी उचित आवंटन के बिना औद्योगिक उद्देश्य के लिए सरकारी कृषि भूमि का उपयोग कर रहे थे। वास्तव में, उन्हें वह जमीन 13.02.1987 को आवंटित की गई थी और यह उनके हाथ में तब तक रही जब तक उन्होंने इसे याचिकाकर्ता के पक्ष में 08.11.1996 को बेच नहीं दिया। इसलिए, 15.07.1994 तक जमीन बाबू लाल नागौरी के कब्जे में थी। कट ऑफ तारीख का मतलब है कि 1959 के आवंटन नियम का नियम 13-ए अवैध कब्जाधारियों के एक वर्ग के नियमितीकरण के बाद समाप्त हो गया। यह उन लेन-देन पर लागू नहीं होता जो 15.07.994 के बाद किए गए हों, बाबू लाल नागौरी द्वारा भूमि बेचने के लेन-देन पर तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता।

29. इसलिए, उपरोक्त विचार के मद्देनजर, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह निवेदन कि यह आवंटन नियम 1959 के तहत नियमितीकरण का मामला है, स्वीकार नहीं किया जा सकता और अस्वीकृत किया जाता है।

30. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अंतिम तर्क पर गहन विचार किया है, जिसे शायद हम स्वीकार नहीं करते, यदि यह तथ्य न होता कि अपीलार्थी ने वर्ष 1997 में प्रतिफल के भुगतान पर एक लेन-देन किया था और 1997 से आज तक भूमि पर उसके कब्जे का दावा करता है। हालाँकि, चूँकि यह लेन-देन कानून का उल्लंघन है और नियमों में ऐसे मामलों के नियमितीकरण की अनुमति देने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए हम अपीलार्थी के पक्ष में कोई अनुतोष देने में असमर्थ हैं। फिर भी, लंबे समय से चले आ रहे कब्जे को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी को भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से ऐसे नियमों और शर्तों पर संपर्क करने के लिए अनुमति देते हैं, जिन्हें प्राधिकारी उचित समझे। प्राधिकारी इस तरह के आवेदन पर विचार करने और उस पर उचित समझे जाने वाले निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, बेशक, यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी बिना उसका लाभ उठाए, भूमि पर कब्जा बनाए हुए है।

31. परिणामतः, भले ही हम यह पाते हैं कि राजस्व मंडल के आदेश को उलटने वाला विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश उचित नहीं था, फिर भी ऊपर बताए गए अन्य आधारों को देखते हुए, हम अपीलार्थी को कोई अनुतोष प्रदान करने में असमर्थ हैं और अपील का निस्तारण किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 को, ऊपर बताई गई रीति और विस्तार तक उपांतरित किया जाता है।

32. सभी लंबित आवेदन भी निस्तारित किये जाते हैं।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

19-भूमिका पी/मोहन/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी